उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

01/06/20 मिसल वाले आवेदन बाबत आदेश किये हुये। आज
को मनन किया व फाइलों पर उपलब्ध
राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया।
विवादित आराजीयात अराजी नं. 4 व 3 के
पिता के नाम से अभिलेख में अंकित है तथा
प्रार्थीगण अराजी नं. 1 रकबा के मुन्तकिल व फौती
है तथा वाद उद्घोषणा का है। हिन्दू
उत्तराधिकार एक्ट में पैतृक संपत्ति में हक
अधिकार रखते है। अतः विवादित आराजियात
ख.नं. 307, 308/904 किता 2 वन गंगापीनाथपुर
व ख.नं. 386, 391 किता 2 कुल रकबा
1.16 है. वन उमाड़ा एवं खसरा नं. 2 रकबा
0.61 है. वन ग्राम पंचायत पं.म. चक तहसील
दांतारामगढ़ जिला सीकर की अराजी है।
के हिसाब तक तरमीम वाला रिकार्ड की
[illegible] बनाये रखने हेतु उभय पक्ष को
आवश्यक विधिवत से पाबन्द किये जाने के
आदेश दिये जाते है। मिसल फाइल शुमार
हो।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ